न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–186/2017

राज्य प्रति सर्वेश कुमार आदि।

मुकदमा अपराध संख्या–254/2014
धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भा०दं०सं०।
थाना–चौबिया, जिला–इटावा।

कथन अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.संहिता।

नाम–सर्वेश कुमार पुत्र–सियालाल उम्र–45 वर्ष
व्यवसाय–कृषि निवासी–बलभद्रपुर हवेली
थाना–सैफई जिला–इटावा

प्रश्न 1:– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 19.09.2014 को समय करीब 08.30 बजे शाम व स्थान बलभद्रपुर हवेली, अन्तर्गत थानाक्षेत्र चौबिया, जिला इटावा में आप व सह–अभियुक्तगण ने वादी एवं उसके घरवालों को जाने से मारने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया एवं बल्वा किया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 2:– अभियोजन कथानक के अनुसार उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप व आपके सह–अभियुक्तगण ने वादी एवं उसके घरवालों को जाने से मारने के उद्देश्य से घातक आयुधों से सुसज्ज़ित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया एवं बल्वा किया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 3 :– अभियोजन कथानक के अनुसार उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप व आपके सह–अभियुक्तगण ने उपरोक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी एवं उसके घरवालों के ऊपर फायर किये। यदि आपके उक्त कृत्य से उपरोक्त लोगों की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध में दोषी होते। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–मेरे साथी पर हमने कोई फायर नही किया न ही किसी को चोटें आयी।

प्रश्न 4 :– अभियोजन कथानक के अनुसार उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप व आपके सह–अभियुक्तगण ने वादी आदि को गाली–गलौज की, जिससे लोक–शान्ति भंग हुई। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 5 :– अभियोजन कथानक के अनुसार उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप व आपके सह–अभियुक्तगण ने वादी आदि को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 6 :– पी०डब्लू०–1 सन्तोष कुमार (वादी मुकदमा) के आपने बयान सुने। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए, तहरीर **प्रदर्श क–1** को साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 7 :– पी०डब्लू०–2 आपने लाखन सिंह का बयान सुना। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन करते हुए कथन किया कि दिनांक 19.09.2014 को सुबह 10.00 बजे संतोष का भतीजा कमलेश, अजय ट्रैक्टर लेकर खेतों से घर पर आ रहे थे। ट्रैक्टर गांव में अपने दरवाजे तक ला पाये थे कि इसी समय बारेलाल, मनोज, सनोज तथा गिरजेश ने मिलकर ट्रैक्टर ट्राली का रास्ता रोक लिया तथा झगड़ा पर अमादा हो गए, लेकिन सन्तोष व साक्षी ने झगड़ा शांत करा दिया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 8 :– पी०डब्लू०–2 साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में आगे कथन किया कि इसी बात को लेकर दिनांक 19.09.2014 को समय शाम 08.30 बजे मनोज, सनोज अपने–अपने हाँथों में बन्दूक व तमंचा लेकर तथा सर्वेस डबल बैरल की बन्दूक लेकर एवं सुभाषचन्द्र अपनी रायफल लेकर एवं मुनेश कुमार सिंगल बैरल बन्दूक लेकर तथा योगेंद्र व अमन तमंचा लेकर एवं राजकुमार अपनी निजी रायफल लेकर संतोष के दरवाजे पर आ गये और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 9 :– पी०डब्लू०–2 साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में आगे कथन किया कि उपरोक्त सभी लोगों ने संतोष के ऊपर जान से मारने की नीयत से हाँथों में लिए असलाहों से फायर किये, परन्तु संतोष ने बरामदे की आड़ में होकर अपने को बचा लिया। मुल्जिम सन्तोष को गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 10 :– पी०डब्लू०–3 आपने हेड कानि० विशाल यादव का बयान सुना। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** व कार्बन प्रति जी०डी० **प्रदर्श क–3** को तैयार कर साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 11 :– पी०डब्लू०–4 आपने जे०एन० सिंह (उपनिरीक्षक/विवेचक) का बयान सुना। इस साक्षी ने विवेचना का वर्णन करते हुए, वादी मुकदमा व गवाहान की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नज़री **प्रदर्श क–4** को तैयार कर साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत विवेचना की थाना पर बैठकर सारी औपचारिकता पूरी की।

प्रश्न 12 :– पी०डब्लू०–5 आपने जे०पी० पाल (प्रभारी निरीक्षक) का बयान सुना। इस साक्षी ने पूर्व विवेचक के स्थानांतरण के उपरांत विवेचना पुनः ग्रहण कर, उसका वर्णन करते हुए आरोप पत्र **प्रदर्श क–5** एवं गिरफ्तारी मेमों **प्रदर्श क–6** तैयार कर साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–वादी से मिलकर सारी कार्यवाही फर्जी की।

प्रश्न 13:– आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला?
उत्तर–गलत मुकदमा चला। मेरे पिता जी व भोगीलाल से जमीनी विवाद था, जिससे पुरानी रंजिश है।

प्रश्न 14:– क्या आपको प्रतिरक्षा साक्ष्य देना है?
उत्तर–जी हाँ।

प्रश्न 15:– क्या आपको और कुछ कहना है?
उत्तर–दिनांक 19.09.20214 को 9 बजे रात मैं अपनी बीमार ताई को देखने बलभद्रपुर हवेली गया था, वहाँ पर भोगीलाल, संतोष कुमार, सतेन्द्र कुमार व अमलेश कुमार ने मेरे ऊपर ईटा, पत्थर फेंक कर हमला किया। गन्दी–गन्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी। मेरी कार को ईटा, पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और अपने बचाव में पुलिस से मिलकर झूंठी रिपोर्ट लिखायी।

यह पृच्छा मेरे द्वारा अंकित की गयी। जिसमें अभियुक्त का पूर्ण एवं यथाउक्त बयान अन्तर्विष्ट है।

सुनकर सत्यापित किया।

हस्ताक्षर अभियुक्त

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।
07.10.2024